# कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा, म0प्र0
## पीठासीन अधिकारी – (श्री अरुण सिंह)

मैं **श्री अरुण सिंह,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा(म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रीवा जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट गण के मध्य आपराधिक प्रकरणों के उचित व सुचारू रूप से कार्य संपादन हेतु निम्न **<u>आदेश</u>** प्रसारित करता हूँ, जो मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के अनुमोदन उपरांत दिनांक **23–अप्रैल–2025** से प्रभावशील होगा।

| क. | न्यायिक मजिस्ट्रेट | आरक्षी केन्द्र | क्षेत्राधिकार |
|---|---|---|---|
| 01 | **श्री अरुण सिंह**<br>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा | **चोरहटा, अमहिया, समान एवं यातायात** | 1. पुलिस **<u>थाना चोरहटा, थाना अमहिया, समान एवं थाना यातायात के</u>** थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्रों एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर)<br><br>2. मुख्यालय रीवा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न **खाद्य सुरक्षा** एवं **मानक अधिनियम** के प्रकरण।<br><br>3. रीवा जिला मुख्यालय में आबकारी वृत्त द्वारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण प्ररकण।<br><br>4. रीवा राजस्व जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों एवं परिवहन विभाग से उद्भूत मोटर यान अधि0 के **<u>ओव्हरलोड के प्रकरण</u>**<br><br>5. मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम एवं पदस्थापना अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण नगर निगम की सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।<br><br>6. **थाना चोरहटा, अमहिया एवं समान** के अंतर्गत उद्भूत **वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।<br><br>7. तेजाब (एसिड) से कारित किए जाने वाले संपूर्ण रीवा जिले की सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। |

अरुण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 8. मेन्टल हेल्थ एक्ट 2017 से संबंधित प्रकरण।<br><br>9. अन्य ऐसे सभी प्रकरण जिनका स्पष्ट उल्लेख इस कार्य विभाजन में नहीं है।<br><br>10. जिला रीवा से संबंधित समस्त थाना क्षेत्रों के खारिजी प्रकरण। |
| 02 | **श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड रीवा | — | 1. किशोर न्याय बोर्ड रीवा के अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण व कार्य ।<br><br>2. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 03 | **श्री पन्ना नागेश**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा/ न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय राजस्व तहसील रीवा | **थाना सिविल लाईन, जी0आर0पी0 एवं ग्राम न्यायालय हेतु राजस्व तहसील रीवा** | 1. पुलिस **थाना सिविल लाईन एवं जी0आर0पी0** के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण को छोडकर)<br><br>2. पुलिस **थाना सिविल लाईन, चोरहटा एवं जी0आर0पी0** के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. पुलिस **थाना सिविल लाईन एवं जी0आर0पी0** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>4. पुलिस थाना **विश्वविद्यालय, चोरहटा एवं सिविल लाईन** के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया।<br><br>5. **थाना सिविल लाईन** के अंतर्गत उद्भूत **वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।<br><br>6. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |

अरूण सिं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म०प्र०)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04 | **श्रीमती अश्विनी सिंह**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी रीवा | **महिला थाना, थाना सिविल लाइन, चोरहटा, समान, बिछिया, सगरा,** | 1. पुलिस थाना **महिला जिला रीवा** के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत क्षेत्राधिकार वाले दांडिक प्रकरण।<br><br>(धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर)<br><br>2. पुलिस थाना **महिला, सिविल लाइन, चोरहटा, समान, बिछिया, सगरा** अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों वाले समस्त प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं महिलाओं से संबंधित धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण के प्रकरण (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर। )<br><br>3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 05 | **श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी रीवा | **थाना बिछिया एवं रायपुर कर्चुलियान** | 1. पुलिस थाना **बिछिया, रायपुर कर्चुलियान** के क्षेत्राधिकारिता वाले थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर)<br><br>2. पुलिस **थाना बिछिया, रायपुर कर्चुलियान** के अंतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. पुलिस **थाना बिछिया, समान, रायपुर कर्चुलियान** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>4. **थाना बिछिया, रायपुर कर्चुलियान** के अंतर्गत उद्भूत **वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।<br><br>5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |

अरूण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06 | **श्री शैलेन्द्र रैकवार**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी रीवा | **गोविन्दगढ़** | 1. पुलिस थाना **गोविन्दगढ़** के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।<br><br>(महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर)<br><br>2. पुलिस थाना **गोविन्दगढ़** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. पुलिस **थाना गोविन्दगढ़ एवं अमहिया** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>4. **थाना गोविन्दगढ़** के अंतर्गत उद्भूत **वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।<br><br>5. पुलिस थाना **रायुपर कर्चुलियान, गुढ़, गोविन्दगढ़ एवं अमहिया** के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत धारा **138 एन0 आई0 एक्ट** एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया।<br><br>6. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 07 | **श्रीमती आरती सिंह**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी रीवा | **सगरा** | 1. पुलिस थाना **सगरा** के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।<br><br>(महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण को छोडकर)<br><br>2. पुलिस थाना **सगरा** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. पुलिस **थाना सगरा एवं चोरहटा** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम |

मुख्य न्यायिक मजि0
रीवा (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>4. **थाना सगरा** के अंतर्गत उद्भूत **वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।<br><br>5. पुलिस थाना **सिटी कोतवाली, बिछिया, सगरा एवं समान** के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत **धारा 138** एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया।<br><br>6. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 08 | **श्री मुकेश कुमार कोरी**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी रीवा | **विश्वविद्यालय** | 1. पुलिस थाना **विश्वविद्यालय** के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर)<br><br>2. पुलिस **थाना विश्वविद्यालय एवं समान** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. पुलिस **थाना विश्वविद्यालय** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>4. **थाना विश्वविद्यालय** के अंतर्गत उद्भूत **वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।<br><br>5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 09 | **श्री दिलीप माहोर**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी रीवा | **सिटी कोतवाली** | 1. पुलिस **थाना सिटी कोतवाली** के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर) |

अरुण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2. पुलिस **थाना समान, अमहिया व चोरहटा** से उद्भूत प्रकरणों में पारित निर्णय व आदेश के संबंध में मान्नीय उच्च न्यायालय या मान्नीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त आपराधिक रिकॉर्ड या प्राप्त आदेश जिनमें अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन/निष्पादन संबंधी कार्यवही संपादित की जावेगी।<br><br>3. पुलिस **थाना सिटी कोतवाली एवं अमहिया** के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>4. पुलिस **थाना सिटी कोतवाली** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>5. **थाना सिटी कोतवाली** के अंतर्गत उद्भूत **वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।<br><br>6. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 10 | **श्रीमती सृष्टि चौरसिया,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी रीवा | — | 1. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 11 | **सुश्री कंचन सैनिक**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी रीवा | **सिटी कोतवाली, अमहिया, गोविन्दगढ़, गुढ़, रायपुर कर्चुलियान, विश्वविद्यालय** | 1. पुलिस थाना **सिटी कोतवाली, अमहिया, गोविन्दगढ़, गुढ़, रायपुर कर्चुलियान, विश्वविद्यालय** अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों वाले समस्त प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं महिलाओं से संबंधित धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण के प्रकरण (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर। )<br><br>2. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |

अरूण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म०प्र०)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | **श्री रंजीत भदकारिया**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा | **गुढ़** | 1. पुलिस **थाना गुढ़** के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर)<br><br>2. पुलिस **थाना गुढ़** के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. पुलिस **थाना गुढ़** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>4. **थाना गुढ़** के अंतर्गत उद्भूत **वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।<br><br>5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| | | **<u>तहसील मऊगंज</u>** | |
| 1. | **श्री साजिद मोहम्मद**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | **मऊगंज** | 1. पुलिस थाना **मऊगंज** के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।<br><br>2. थाना **मऊगंज** की सीमा अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।<br><br>3. थाना **मउगंज** एवं आबकारी वृत्त **मऊगंज** के **आबकारी अधिनियम** अंतर्गत प्रकरण ।<br><br>4. तहसील **मऊगंज** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले **वन विधियों** संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण।<br><br>5. पुलिस थाना मऊगंज अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, |

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 6. तहसील **मऊगंज** के अंतर्गत **वन विभाग** के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण।<br><br>7. पुलिस थाना **मऊगंज** के क्षेत्राधिकार से संबंधित उद्भूत बी0एन0एस0एस0 की धारा के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 से संबंधित दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)<br><br>8. पुलिस थाना **मऊगंज** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>9. पुलिस **थाना मऊगंज** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 2. | **श्री महादेव पटेल**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी | **थाना लौर** | 1. पुलिस **थाना लौर** के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।<br><br>2. थाना **थाना लौर** की सीमा अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।<br><br>3. पुलिस **थाना लौर** अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 से संबंधित दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)<br><br>4. पुलिस **थाना लौर** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>5. पुलिस **थाना लौर** से प्रस्तुत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।<br><br>6. पुलिस **थाना लौर** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स |

अरूण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सतना (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>7. पुलिस **थाना लौर** अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,<br><br>8. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 3. | **सुश्री ओशी जैन,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी | **थाना गढ़**<br>मऊगंज<br>तहसील<br>की सीमा<br>से<br>संबंधित | 1. पुलिस **थाना गढ** (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।<br><br>2. थाना **थाना गढ** (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) की सीमा अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।<br><br>3. पुलिस **थाना गढ** (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 से संबंधित दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)<br><br>4. पुलिस **थाना गढ** (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>5. पुलिस **थाना गढ** (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,<br><br>6. पुलिस **थाना गढ़** (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>7. पुलिस **थाना गढ़** (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) प्रस्तुत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।<br><br>8. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |

अरूण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | **श्री युवराज दीक्षित**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी | **थाना नईगढ़ी** | 1. पुलिस **थाना नईगढ़ी** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।<br><br>2. थाना **थाना नईगढ़ी** के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।<br><br>3. पुलिस **थाना नईगढ़ी** अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 से संबंधित दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)<br><br>4. पुलिस **थाना नईगढ़ी** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>5. **थाना नईगढ़ी** से प्रस्तुत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।<br><br>6. पुलिस **थाना नईगढ़ी** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>7. पुलिस थाना **नईगढ़ी** अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,<br><br>8. तहसील **मउंगज** के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य ।<br><br>9. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| **तहसील सिरमौर** | | | |
| 1. | **श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, सिरमौर | **बैकुंठपुर** | 1. पुलिस **थाना बैकुण्ठपुर** थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।<br><br>2. पुलिस **थाना बैकुण्ठपुर** के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. **थाना बैकुण्ठपुर** के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले |

अरूण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीधी (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।<br><br>4. पुलिस **बैकुण्ठपुर** के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)<br><br>5. तहसील **सिरमौर** के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य एवं अनुशांगिक कार्यवाहियां।<br><br>6. **थाना बैकुण्ठपुर** से प्रस्तुत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।<br><br>7. पुलिस **थाना बैकुण्ठपुर** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>8. पुलिस **थाना बैकुण्ठपुर** के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,<br><br>9. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 2. | **श्रीमती भारती केशरी कश्यप,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर | **गढ़**<br>तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित | 1. पुलिस **थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।<br><br>2. पुलिस **थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. **थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।<br><br>4. पुलिस **थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण |

अरूण ...
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)<br><br>5. **थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तुत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।<br><br>6. पुलिस **थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>7. पुलिस **थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,<br><br>8. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 3. | **श्री रजनीश ताम्रकार**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर | **सिरमौर, सेमरिया** | 1. पुलिस **थाना सिरमौर, सेमरिया** थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।<br><br>2. पुलिस **थाना सिरमौर, सेमरिया** के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. पुलिस **थाना सिरमौर, सेमरिया** के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।<br><br>4. पुलिस **थाना सिरमौर, सेमरिया** के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)<br><br>5. पुलिस **थाना सिरमौर, सेमरिया** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे। |

अरुण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 6. पुलिस **थाना सिरमौर, सेमरिया** क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,<br><br>7. तहसील **सिरमौर, सेमरिया** के अंतर्गत **वन विभाग** के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण।<br><br>8. आबकारी वृत्त **सिरमौर, सेमरिया** के आबकारी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण ।<br><br>9. तहसील **सिरमौर, सेमरिया** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले वन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण।<br><br>10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| | | | **तहसील त्योंथर** |
| 1. | **श्रीमती कामिनी प्रजापति**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, त्योंथर | **सोहागी, चाकघाट, जनेह,** | 1. पुलिस **थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट** थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।<br><br>2. पुलिस **थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट** के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. **थाना जनेह, सोहागी, एवं चाकघाट** के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।<br><br>4. आबकारी वृत्त **त्योंथर/चाकघाट** के आबकारी अधिनियम अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।<br><br>5. तहसील त्योंथर अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले वन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण।<br><br>6. तहसील त्योंथर के अंतर्गत **वन विभाग** के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण।<br><br>7. पुलिस **थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट** के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब |

अरुण [illegible]
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)<br><br>8. पुलिस **थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>9. पुलिस **थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट** क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,<br><br>10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 2. | **श्रीमती मोहिनी भदौरिया,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी त्योंथर | **थाना डभौरा एवं जवा** | 1. पुलिस थाना **डभौरा एवं जवा** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।<br><br>2. पुलिस **थाना डभौरा एवं जवा** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. **थाना डभौरा एवं जवा** के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।<br><br>4. पुलिस **थाना डभौरा एवं जवा** के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)<br><br>5. पुलिस **थाना डभौरा एवं जवा** के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>6. पुलिस **थाना डभौरा एवं जवा** के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,<br><br>7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |

अरूण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीधी (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | **श्री आशुतोष प्रताप सिंह,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी त्योंथर | **पनवार, अतरैला, गढ़ तहसील त्योंथर के अंतगत आने वाले क्षेत्र हेतु** | 1. पुलिस थाना **पनवार, अतरैला एवं गढ़** थाना के तहसील त्योंथर के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।<br><br>2. पुलिस थाना **पनवार, अतरैला एवं गढ़** थाना के तहसील त्योंथर के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. थाना **पनवार, अतरैला एवं गढ़** थाना के तहसील त्योंथर के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।<br><br>4. पुलिस थाना **पनवार, अतरैला एवं गढ़** थाना के तहसील त्योंथर के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)<br><br>5. पुलिस थाना **पनवार, अतरैला एवं गढ़** थाना के तहसील त्योंथर के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>6. पुलिस थाना **पनवार, अतरैला एवं गढ़** थाना के तहसील त्योंथर के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,<br><br>7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| | | **तहसील हनुमना** | |
| 1. | **श्रीमती कीर्ति दुबे**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, हनुमना | ---- | 1. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| 2. | **श्री संदीप कुमार नामदेव**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट | **हनुमना एवं शाहपुर** | 1. **पुलिस थाना हनुमना एवं शाहपुर** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। |

अरूण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | प्रथम श्रेणी | | 2. थाना **हनुमना एवं शाहपरु** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।<br><br>3. पुलिस थाना **हनुमना एवं शाहपुर** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)<br><br>4. पुलिस थाना **हनुमना एवं शाहपुर** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।<br><br>5. तहसील **हनुमना एवं शाहपुर** के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां।<br><br>6. पुलिस **थना हनुमना एवं शाहपुर** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>7. पुलिस **थाना हनुमना एवं शाहपुर** के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,<br><br>8. तहसील **हनुमना एवं शाहपुर** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले वन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण।<br><br>9. तहसील **हनुमना एवं शाहपुर** के अंतर्गत **वन विभाग** के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण।<br><br>10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |
| **तहसील मनगवां** | | | |
| | **श्री यश अबिद्रा**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, मनगवां | **मनगवां** | 1. पुलिस थाना **मनगवां** के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत क्षेत्राधिकारिता वाले दांडिक प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।<br><br>2. पुलिस थाना **मनगवां** अंतर्गत परिवाद प्रकरण एवं धारा |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र एवं धारा 138 एन आई एक्ट के परिवाद पत्र एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनकी अनुशांगिक कार्यवाहियां।<br><br>3. थाना **मनगवां** अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत आपराधिक प्रकरण एवं दाण्डिक परिवाद प्रकरण व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र।<br><br>4. थाना **मनगवां** अंतर्गत बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं अनुशांगिक कार्यवाहियां (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)।<br><br>5. पुलिस **थाना मनगवां** के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>6. **थाना मनगवां** के अंतर्गत उद्भूत **वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।<br><br>7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण। |

## आवश्यक निर्देश :–

1. इस कार्य विभाजन आदेश से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना के द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य, अध्याय–35 बी0एन0एस0एस0 के तहत जमानत आवेदन एवं धारा 497, 503 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं आवश्यक कार्य के अंतर्गत **संक्षिप्त विचारण प्रकिया** द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्ध का अभिवाक् करता है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे। अति आवश्यक मामले में वे समरी प्रकरण शामिल नहीं होंगे जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हों।
3. समस्त जे.एम.एफ.सी यदि धारा 187 बी0एन0एस0एस0 के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते हैं, तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा की ओर आवश्यक रूप से अविलंब भेजी जावे।

अरूण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

4. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के सबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर, जो **रिक्त न्यायालय** से संबंधित हैं, उनमें माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उन मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी, जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है, जिससे वह मामला उदभूत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है।
5. **ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है,** के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट या समर्पण संबंधी आवेदन का निराकरण उन्हीं मजिस्ट्रेटों के द्वारा किया जायेगा जिनके समक्ष उक्त गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण लंबित है तथा यदि प्रकरण अभिलेखागार में है, तब ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा, जिनको संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है) का क्षेत्राधिकार आवंटित हैं। धारा 138 एन.आई.ए एक्ट से संबंधित गिरफ्तारी वांरंट उनके विशेष न्यायालय के समक्ष ही थाना क्षेत्र के हिसाब से अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होगें। यदि स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला न्यायालय अस्तित्व में है तब उससे संबंधित कार्यवाही उसी न्यायालय द्वारा की जायेगी।
6. रिक्त न्यायालय की अपील, पुनरीक्षण, रिवीजन आदेश के परिपालन में निष्पादन योग्य कार्यवाही, दस्तावेज से जमानत निरस्त संबंधित कार्यवाही जिसमें थाना स्पष्ट नहीं हो रहा हो के संबंध मे रीवा न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रथमतः **श्री मुकेश कुमार कोरी** तत्पश्चात द्वितीयतः **श्री शैलेन्द्र रैकवार** द्वारा संपादित की जावेगी।
7. आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा ड्राईविंग लाईसेंस परमिट या अन्य दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रतियां सुर्पुदगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।
8. **मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1966** की धारा 16 (1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेगे। ग्राम न्यायालय संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय रीवा/सिरमौर के द्वारा ही लिया जावेगा।
9. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपने संबंधित आरक्षी केन्द्रों की सीमा क्षेत्रों में **चलित न्यायालय** लगा सकेंगे। जिसकी पूर्व सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा को प्रेषित करेगे। उक्त चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणो हेतु लगाई जावे तथा उक्त चलित न्यायालयों को इस प्रकार लगाया जावे, जिससे कि न्यायालय के नियमित संपादन का कार्य प्रभावित न हो।
10. लंबित रिमाण्ड पेपर्स से संबंधित अभियोग–पत्र उन्हीं न्यायालय मे पेश किये जायेंगे, जिनके पास उपरोक्त कार्यविभाजन पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकारी दिया गया है, जब तक अलग से आदेश न हो तथा **ऐसे रिमाण्ड पेपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेगें।**

अरुण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म.प्र.)

11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे। प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी दूरभाष आदि के माध्यम से देकर तथा आवश्यक होने पर ई–मेल फैक्स आदि से आवेदन प्रेषित करेंगे।
12. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन पत्रक से प्रभावित नहीं रहेंगे।
13. **धारा 379 बी0एन0एस0एस0** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रीवा के समस्त **परिवाद पत्र** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
14. इस कार्य विभाजन पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों में परिवाद, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पड़ेगा जो संबंधित न्यायालय में पूर्व से लंबित है तथा जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम है।
15. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा जिले में किसी भी आरक्षी केन्द्र अथवा अन्य किसी विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्रों व परिवाद पत्रों का संज्ञान करने में सक्षम होगे।
16. किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश के दौरान उनके न्यायालय के अंडर ट्रायल अथवा 05 वर्ष अथवा अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित अनुसंधानकर्ता अधिकारी/चिकित्सक साक्षी या वृद्ध असमर्थ ऐसे साक्षी या वृद्ध, बीमार या व्ययकारी या असुविधाजनक होने की स्थिति अत्याधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश न मिलने या अत्यंत कष्टकारी व्ययकारी या असुविधाजनक की स्थिति में ऐसे **साक्षियों का साक्ष्य** जिनकी पुनः उपस्थिति कठिन है, का साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/मजिस्र्टेट द्वारा अभिलिखित की जावेगी तथा ऐसे प्रकरण केवल उक्त कार्य हेतु इंचार्ज मजिस्ट्रेट को विधिवत अंतरित किये गये समझे जायेगे।
17. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश की दशा में रिमाण्ड डयूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेंगे।
18. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी पृष्ठांकन कमांक डी–2495 जबलपुर दिनांक 10.04.2019 के अनुसार न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध आरोपियों के संबंध में साक्ष्य/आरोप पत्र विरचना/आरोपी कथन से संबंधित कार्यवाही अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से करावे।
19. बी0एन0एस0एस0 की धारा 196 के अंतर्गत केन्द्रीय कारागार रीवा से व आरक्षी केन्द्र से संबंधित मृतक बंदीयों की मृत्यु के कारण की जांच उस मजिस्र्टेट द्वारा की जावेगी जिसको **अनुलग्न सूची–स** अनुसार मासिक प्रभार दिया गया है, ऐसे मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण, अवकाश, प्रशिक्षण पर या मुख्यालय से बाहर होने की दशा में अनुलग्न–अ अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट जांच कार्यवाही करेंगें। उक्त आदेश के अतिरिक्त प्रशासनिक सुविधा एवं मृत बंदियों की मृत्यु की गंभीरता अनुसार **अनुलग्न सूची–स** से पृथक भी मृत्यु जांच मजिस्ट्रेट को सौंपी जा सकेगी।
20. रिमाण्ड, डयूटी ,व्ही.सी धारा 183 बी0एन0एस0एस0 (धारा–164 दंप्रसं) के कथन एवं धारा 196 बी0एन0एस0एस0(मृत्यु जांच) के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में **<u>उनके स्थान पर आये नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट</u>** विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे_एवं न्यायालय रिक्त होने की दशा में

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म०प्र०)

प्रभार **अनुलग्न–अ** के अनुसार रहेगा एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे।

21. तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने आरक्षी केन्द्रों के धारा 196 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जांच संपादित करेंगे।
22. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने टूर पर प्रस्थान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जावे जिनमें मजिर्स्टेट मुख्यालय पर हों।
23. अनुलग्न कमांक **अ, ब एवं स** कार्य विभाजन पत्रक के ही अंग होगे।
24. सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने न्यायालय के अंतर्गत थाने से उद्भूत खात्मा से संबंधित मामलों में सुनवाई करेंगे।
25. किसी भी आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पूरक चालान उसी न्यायालय में पेश किए जाएंगे जिस न्यायालय में मूल अभियोगपत्र पेश किया गया अथवा विचाराधीन है, चाहे पूरक चालान पेश करते समय उस न्यायालय का उस थाने पर क्षेत्राधिकार नहीं हो।
26. इस आदेश के निर्वहन तथा किसी भ्रम की स्थिति में मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा को संदर्भित किया जावेगा।

**(श्री अरुण सिंह)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रीवा(म.प्र.)

रीवा, दिनांक .....

**"अनुलग्न–अ"**

| | | |
|---|---|---|
| श्री अरुण सिंह,<br>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>रीवा | श्री पन्ना नागेश,<br>जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री शैलेन्द्र रैकवार,<br>जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा,<br>प्रधान न्यायाधीश किशोर<br>न्याय बोर्ड रीवा | श्रीमती आरती सिंह,<br>जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्रीमती अश्विनी सिंह<br>जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| श्रीमती अश्विनी सिंह<br>जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री कंचन सैनिक,<br>जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्रीमती आरती सिंह,<br>जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| सुश्री सृष्टि चौरसिया,<br>जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री शैलेन्द्र रैकवार,<br>जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी<br>जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| श्री पन्ना नागेश, | श्री मुकेश कुमार कोरी, | श्री रंजीत भदकारिया, |

अरुण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म०प्र०)

| | | |
|---|---|---|
| जे.एम.एफ.सी. रीवा | जे.एम.एफ.सी. रीवा | जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री रंजीत भदकारिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री मुकेश कुमार कोरी, जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| श्रीमती आरती सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री शैलेन्द्र रैकवार, जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्रीमती अश्विनी सिंह जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| श्री शैलेन्द्र रैकवार, जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| श्री मुकेश कुमार कोरी जे.एम.एस.सी. रीवा | श्री शैलेन्द्र रैकवार, जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| सुश्री कंचन सैनिक जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्रीमती अश्विनी सिंह जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्रीमती आरती सिंह, जे0एम0एफ0सी0 रीवा |
| श्री रंजीत भदकारिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री मुकेश कुमार कोरी, जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| **तहसील मऊगंज** | | |
| श्री साजिद मोहम्मद जे.एम.एफ.सी. मऊगंज | श्री महादेव पटेल जे.एम.एफ.सी. मऊगंज | श्री युवराज दीक्षित जे.एम.एफ.सी. मऊगंज |
| श्री युवराज दीक्षित जे.एम.एफ.सी. मऊगंज | सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज | श्री साजिद मोहम्मद जे.एम.एफ.सी. मऊगंज |
| श्री महादेव पटेल जे.एम.एफ.सी. मऊगंज | श्री युवराज दीक्षित जे.एम.एफ.सी. मऊगंज | सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज |
| सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज | श्री साजिद मोहम्मद जे.एम.एफ.सी. मऊगंज | श्री महादेव पटेल जे.एम.एफ.सी. मऊगंज |
| **तहसील सिरमौर** | | |
| श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल जे.एम.एफ.सी. सिरमौर | श्रीमती भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर | श्री रजनीश ताम्रकार जे.एम.एफ.सी. सिरमौर |
| श्रीमती भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर | श्री रजनीश ताम्रकार जे.एम.एफ.सी. सिरमौर | श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल जे.एम.एफ.सी. सिरमौर |
| श्री रजनीश ताम्रकार जे.एम.एफ.सी. सिरमौर | श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल जे.एम.एफ.सी. सिरमौर | श्रीमती भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर |

अरुण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

| तहसील त्योंथर | | |
|---|---|---|
| श्रीमती कामिनी प्रजापति, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर, | सुश्री मोहिनी भदौरिया, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर | श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर, |
| सुश्री मोहिनी भदौरिया, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर, | श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर | श्रीमती कामिनी प्रजापति, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर |
| श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर | श्रीमती कामिनी प्रजापति जे.एम.एफ.सी.त्योंथर | सुश्री मोहिनी भदौरिया, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर, |
| **तहसील हनुमना** | | |
| श्री संदीप कुमार नामदेव जे.एम.एफ.सी. हनुमना | श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी. हनुमना | श्री युवराज दीक्षित जे.एम.एफ.सी. मऊगंज |
| श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी. हनुमना | श्री संदीप कुमार नामदेव जे.एम.एफ.सी. हनुमना | सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज |
| **तहसील मनगवां** | | |
| श्री यश अबिद्रा जे.एम.एफ.सी. मनगवां | श्री दिलीप माहोर जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री शैलेन्द्र रैकवार जे.एम.एफ.सी. रीवा |

**नोटः–** न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश अथवा अनुपस्थित रहने की दशा में उनकी अनुपस्थिति में ''अनुलग्न–अ'' के अनुसार कॉलम कमांक 2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व उनकी भी अनुपस्थिति की दशा में कॉलम 3 में दर्शाये मजिस्ट्रेट द्वारा उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य संपादित किया जायेगा तथा कॉलम क0–02 व कॉलम क0–03 में दर्शाये मजिस्ट्रेट भी **अनुपस्थित रहते हैं तो मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य को संपादित करेंगे।** यहां यह उल्लेख किया जाता है कि ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी द्वारा ग्राम न्यायालय का कार्य संपादित करने के दिनांक को उनका कार्यभार देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर, प्रशिक्षण पर रहते हैं तो ग्राम न्यायाधिकारी अपने नियमित न्यायालय का कार्य भी संपादित कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रध ाान न्यायाधीश किशोर न्यायबोर्ड एवं बोर्ड के सदस्यगण तीनों की एक साथ अनुपस्थिति में ही कॉलम नं0–02 एवं 03 अनुसार श्रीमती आरती सिंह जे0एम0एफ0सी0 रीवा एवं श्री श्रीमती अश्वनी सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा द्वारा कार्य को संपादित किया जायेगा।

**अनुलग्न ''ब''**

**(धारा 183 बी0एन0एस0एस0 से संबंधित आवेदन)**

| क | आरक्षी केन्द्र | स्तम्भ कमांक–1 | स्तम्भ कमांक–2 |
|---|---|---|---|

अरूण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | सिविल लाईन एवं सगरा | श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी जे0एम0एफ0सी0 रीवा | श्री शैलेन्द्र रैकवार जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| 2 | बिछिया | श्री शैलेन्द्र रैकवार जे0एम0एफ0सी0 रीवा | श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| 3 | चोरहटा | सुश्री सृष्टि चौरसिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री शैलेन्द्र रैकवार जे0एम0एफ0सी0 रीवा |
| 4 | अमहिया | श्री रंजीत भदकारिया, जे0एम0एफ0सी0 रीवा | श्री दिलीप माहोर, जे0एम0एफ0सी0 रीवा |
| 5 | समान | श्री रंजीत भदकारिया, जे0एम0एफ0सी0 रीवा | सुश्री सृष्टि चौरसिया, जे0एम0एफ0सी0 रीवा |
| 6 | मनगवां | श्री दिलीप माहोर जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री रंजीत भदकारिया, जे0एम0एफ0सी0 रीवा |
| 7 | गोविन्दगढ़ | श्री मुकेश कुमार कोरी जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| 8 | जी0आर0पी0 | श्री मुकेश कुमार कोरी जे.एम.एफ.सी. रीवा | सुश्री सृष्टि चौरसिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| 9 | हरिजन कल्याण, सिटी कोतवाली एवं गुढ़ | श्री मुकेश कुमार कोरी जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री दिलीप माहोर जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| 10 | विश्वविद्यालय | श्री दिलीप माहोर जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| 11 | महिला थाना, थाना सिविल लाइन, चोरहटा, समान, बिछिया, सगरा के महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित विशेष न्यायालय (पॉक्सो) प्रकरण सहित | सुश्री कंचन सैनिक, , जे.एम.एफ.सी. रीवा | श्रीमती आरती सिंह, जे.एम.एस.सी. रीवा |
| 12 | सिटी कोतवाली, अमहिया, गोविन्दगढ़, गुढ़, | श्रीमती अश्विनी सिंह जे.एम.एफ.सी.रीवा | श्रीमती आरती सिंह, जे0एम0एफ0सी0 रीवा |

अरूण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म०प्र०)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | रायपुर कर्चुलियान, विश्वविद्यालय के महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित विशेष न्यायालय (पॉक्सो) प्रकरण सहित | | |
| 13 | रायपुर कर्चुलियान | श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी.रीवा | श्री मुकेश कुमार कोरी जे.एम.एफ.सी. रीवा |
| 14 | गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित | श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर | श्री रजनीश ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर |
| 15 | सिरमौर | सुश्री भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर | श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल, जे.एम.एफ.सी.सिरमौर |
| 16 | बैकुण्ठपुर, | श्री रजनीश ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर | सुश्री भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर |
| 17 | सेमरिया | श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल, जे.एम.एफ.सी.सिरमौर | सुश्री भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर |
| 18 | सोहागी, चाकघाट एवं जनेह | सुश्री मोहिनी भदौरिया जे.एम. एफ.सी.त्योंथर | श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी त्योंथर |
| 19 | पनवार एवं अतरैला | श्रीमती कामिनी प्रजापति जे.एम.एफ.सी त्योंथर | सुश्री मोहिनी भदौरिया जे.एम.एफ.सी त्योंथर |
| 20 | गढ़ तहसील त्योंथर की सीमा क्षेत्र से संबंधित | श्रीमती कामिनी प्रजापति जे.एम.एफ.सी त्योंथर | सुश्री मोहिनी भदौरिया जे.एम.एफ.सी त्योंथर |
| 21 | डभौरा एवं जवा | श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी त्योंथर | श्रीमती कामिनी प्रजापति जे.एम. एफ.सी.त्योंथर |
| 21 | गढ़ (तहसील मऊगंज की सीमा के अन्तर्गत) | श्री युवराज दीक्षित जे.एम.एफ.सी. मऊगंज | श्री साजिद मोहम्मद, जे.एम. एफ.सी मऊगंज |
| 22 | नईगढी | श्री महादेव पटेल जे.एम.एफ.सी. मऊगंज | सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज |

अरूण ...
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म०प्र०)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | मऊगंज | सुश्री ओशी जैन,<br>जे.एम.एफ.सी. मऊगंज | श्री महादेव पटेल<br>जे.एम.एफ.सी. मऊगंज |
| 24 | लौर | श्री साजिद मोहम्मद,<br>जे.एम. एफ.सी मऊगंज | श्री युवराज दीक्षित<br>जे.एम.एफ.सी. मऊगंज |
| 25 | हनुमना | श्रीमती कीर्ति दुबे,<br>जे.एम. एफ.सी हनुमना | सुश्री ओशी जैन,<br>जे.एम. एफ.सी मऊगंज |
| 26 | शाहपुर | श्रीमती कीर्ति दुबे<br>जे.एम. एफ.सी हनुमना | श्री युवराज दीक्षित<br>जे.एम. एफ.सी मऊगंज |

**नोटः–**

1. धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत लिए गए कथन की एक प्रति तत्काल संबंधित थाना से उपस्थित विवेचक को उपलब्ध कराई जाये।

2. स्तम्भ कमांक 1 की अनुपस्थिति में स्तम्भ कमांक 2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेंगे एवं उनकी भी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेगें।

**अनुलग्न ''स''**
**(धारा 196 बी0एन0एस0एस0 से संबंधित मृत्यु जांच के लिए)**

| क. | जांचकर्ता न्यायिक अधिकारी | माह |
|---|---|---|
| | श्रीमती अश्विनी सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा | अप्रैल–2025 |
| | श्री शैलेन्द्र रैकवार जे.एम.एफ.सी. रीवा | मई–2025 |
| | श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी जे.एम.एफ.सी. रीवा | जून–2025 |
| | श्री रंजीत भदकारिया जे.एम.एफ.सी. रीवा | जुलाई–2025 |
| | श्री दिलीप माहौर जे.एम.एफ.सी. रीवा | अगस्त–2025 |
| | श्री मुकेश कुमार कोरी जे.एम.एफ.सी. रीवा | सितम्बर–2025 |
| | सुश्री कंचन सैनिक जे.एम.एफ.सी. रीवा | अक्टूबर–2025 |

अरूण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

| | | |
|---|---|---|
| | श्रीमती आरती सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा | नवंबर–2025 |
| | श्रीमती सृष्टि चौरसिया जे.एम.एफ.सी. रीवा | दिसंबर–2025 |

**नोटः–** उपरोक्त की अनुपस्थिति में कार्यविभाजन आदेशानुसार कार्य संपादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु जांच से संबंधित आवश्यक कार्यवाही संपादित की जायेगी। उक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारी के संबंध में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्रम में फेरबदल किया जा सकेगा व मृत्यु जांच किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को भी कार्यवाही हेतु दी जा सकेगी। न्यायिक जांच हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी सार्वजनिक अवकाशों में बिना मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा के पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे, परंतु किन्हीं कारणवश मुख्यालय से बाहर रहते हैं या अवकाश पर जाते हैं तो मुख्यालय छोड़ने हेतु प्रस्तुत आवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगेंगे, इसके पश्चात् प्रभार **अनुलग्न–अ** अनुसार रहेगा।

**(श्री अरुण सिंह)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रीवा(म.प्र.)

अरुण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म०प्र०)

रीवा, दिनांक– 23-04-2025

**रीवा दिनांक :- 23-04-2025**

**पृ.क./88/स्टेनो/2025**

**मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा को अनुमोदनार्थ एवं अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।–**

1. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय (न्यायिक),
   माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र)
2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा (म.प्र.)
3. श्रीमान् ..... विशेष न्यायाधीश/ए.एस.जे. रीवा।
4. श्री.....ए.सी.जे.एम./जे.एम.एफ.सी/जे.एम.एफ.सी/
5. रीवा/त्योंथर/सिरमौर/मऊगंज/हनुमना/मनगवां
6. जिला दण्डाधिकारी रीवा।
7. आयुक्त, नगरपालिक निगम रीवा ।
8. पुलिस अधीक्षक, रीवा (म.प्र.) की ओर से संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित ।
9. डी.एफ.ओ.(जिला वन अधिकारी) रीवा ।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रीवा।
11. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, रीवा (म.प्र.)।
12. जिला आबकारी अधिकारी, रीवा की ओर संबंधित आबकारी निरीक्षकों को सूचित कराने हेतु प्रेषित।

अरुण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म०प्र०)

13. जिला खाद्य अधिकारी, रीवा ।
14. निरीक्षक, नाप तौल विभाग, रीवा।
15. औषधि निरीक्षक, रीवा।
16. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा / त्योंथर / सिरमौर / मऊगंज / हनुमना / मनगवां जिला–रीवा।

**(श्री अरुण सिंह)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रीवा(म.प्र.)

अरुण सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म०प्र०)

अनुमोदित

29/4/25

(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)